न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण कमांक अपील 447–एक/06 विरूद्ध आदेश दिनांक 18–1–06 पारित द्वारा अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन प्रकरण कमांक 403/03–04/अपील.

———

आशिष कुमार पिता अनिल कुमार जी
द्वारा मु. आम अनिल कुमार पिता लाला दलेलसिंह जी
निवासी मंदसौर म.प्र. ——— अपीलांट

विरूद्ध

1– म.प्र. शासन द्वारा उप पंजीयक, मंदसौर
2– मांगीलाल पिता भेरूलाल जी माली
निवासी चांदा कोचवी तहसील
व जिला मंदसौर म.प्र. ——— रिस्पोंडेंट्स

———

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आर. एस. सेंगर ।

अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री के. के. द्विवेदी ।

———

:: आदेश ::

(आज दिनांक 07 मई, 2015 को पारित)

———

यह अपील अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के प्रकरण कमांक 403/03–04/अपील में पारित आदेश दिनांक 18–1–06 के विरूद्ध भारतीय स्टाम्प एक्ट, 1899 (जिसे आगे स्टाम्प एक्ट कहा जायेगा) की धारा 47(क) (1) के अंतर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलांट केता द्वारा रिस्पोंडेंट क. 2 से प्रश्नाधीन भूमि 80000/– रूपये में कय करना दर्शाकर रूपये 7100/– के स्टाम्प पेपर पर लेखबद्ध कर उसे उप पंजीयक कार्यालय में प्रस्तुत किया । उप पंजीयक ने लिखम में अंकित मूल्य कम प्रतीत होने पर उसे कलेक्टर ऑफ स्टाम्प को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया । कलेक्टर ऑफ

स्टाम्प ने प्रकरण में सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 7–1–04 द्वारा प्रश्नाधीन संपत्ति का मूल्य रूपये 2,66,640/– अवधारित कर कमी मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन शुल्क कुल रूपये 18059/– चालान से कोषालय में जमा करने के आदेश अपीलांट को दिए । इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश की जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है ।

3/ अपीलांट की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपील मेमो में दिए गए तर्कों को दोहराते हुए तर्क दिया गया कि उसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में तथ्यात्मक आपत्तियां पेश की गई थीं, उनका निराकरण नहीं किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में यह तो माना है कि विवादित भूमि वादग्रस्त है तथा क्रेता को आधिपत्य प्राप्त नहीं हुआ है, फिर भी भूमि का मूल्यांकन 2,66,640/– निर्धारित करने में त्रुटि की गई है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित भूमि का साढे तेतीस प्रतिशत ही डिस्काउन्ट दिया है जबकि बिना कब्जे की भूमि का मूल्यांकन वास्तव में नगन्य होता है ।

4/ रिस्पोंडेंट कं0 1 की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय को उचित बताते हुए अपील निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

5/ रिस्पोंडेंट क. 2 की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण करने का निवेदन किया गया है ।

6/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का तथा आलोच्य आदेशों का परिशीलन किया । यह प्रकरण स्टाम्प अधिनियम के अंतर्गत होकर प्रकरण में प्रचलित बाजार मूल्य के आधार पर कम मुद्रांक शुल्क दिए जाने से कलेक्टर ऑफ स्टाम्प ने आदेश पारित किया और कम मुद्रांक शुल्क और शास्ति जमा करने के आदेश अपीलांट को दिए । इसके विरूद्ध अपील में अपर आयुक्त ने यह माना है कि अपीलांट को विधिवत सुनवाई का अवसर मिला है जब वह जानता था कि भूमि विवादित है तो उसने क्यों क्रय की । विवादित भूमि होने के कारण कलेक्टर ऑफ स्टाम्प ने 33.5 प्रतिशत की कमी करते हुए मूल्य का निर्धारण किया गया है । जो विक्रयपत्र है वह रहन का नहीं है तथा भूमि सिंचित होना अभिलेख से प्रकट है । दर्शित परिस्थिति में जो

आदेश अधीनस्थ न्यायालय का है वह विधिसम्मत उचित होने के कारण पुष्टि योग्य है ।

परिणामतः अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पुष्टि की जाती है तथा यह अपील निरस्त की जाती है ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर